दिनांक 17-5-24 को फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल विरमानी का न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड कराया स्वीकृत

फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में श्री सन्दीप श्रीवास्तव, सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वारा कौलागढ़ रोड, राजेन्द्र नगर स्थित प्यारेलाल कॉल की भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त भूमि का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्शाते हुए उक्त कूटरचित दस्तावेजो को रजिस्ट्रार कार्यालय के रजिस्टरों में कूटरचना कर चस्पा करने के सम्बंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-413/23, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान भूमि के मूल मालिक प्यारेलाल कॉल के नाम से अभियुक्त स्वर्ण सिंह तथा अमित यादव द्वारा अपने अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए उक्त भूमि का एक फर्जी रजिस्ट्री स्वर्ण सिंह के नाम पर तैयार करने तथा स्वर्ण सिंह द्वारा उसे उपहार पत्र के माध्यम से अमित यादव के नाम पर गिफ्ट डीड करने तथा अमित यादव द्वारा उक्त भूमि की गिफ्ट डीड पूनम चौधरी के नाम करने के तथ्य प्रकाश में आये थे। उक्त फर्जी दस्तावेजो को आधार बनाकर अभियुक्तों द्वारा एडवोकेट कमल विरमानी के माध्यम से जमीन पर कब्जा लेने हेतु एक वाद मा0 सिविल न्यायालय, देहरादून में दाखिल किया गया था। उक्त अभियोग में र्प्याप्त साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्त स्वर्ण सिंह तथा अमित यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में अभियुक्त कमल विरमानी का नाम प्रकाश में आया था। आज दिनांक 17-05-2024 को पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त कमल विरमानी का मा0 न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया, जिसे मा0 न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्दोवाला दाखिल किया गया।